[2021] 11 एस. सी. आर 720

चंदन बनर्जी और ओआरएस।

बनाम

कृष्ण प्रसाद घोष और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 5582)

21 सितंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और हिमा कोहली, जे. जे.]

सेवा कानून: पदोन्नति-सहायक अभियंता (ए. ई.) का पद-परिपत्र द्वारा निर्धारित अतिरिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति

डिप्लोमा और डिग्री धारक उप-सहायक के लिए अलग शर्तें

ए. ई. के रूप में अतिरिक्त नियुक्तियों के लिए इंजीनियरों (एस. ए. ई.)-इसके अनुसरण में, एस. ए. ई. की श्रेणीकरण सूची के प्रकाशन को बढ़ावा दिया गया

अतिरिक्त पदों के खिलाफ ए. ई. के पद के लिए-अपीलकर्ताओं द्वारा लिखित याचिका-डिप्लोमा धारक एस. ए. ई., परिपत्र और श्रेणीकरण सूची को चुनौती देते हुए-एकल न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुमति दी जाती है कि जब अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति एक सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अधीन होते हैं और उसके बाद उनका चयन किया जाता है, तो एक

उस संवर्ग में बाद का वर्गीकरण कला का उल्लंघन होगा। 14 और 16-तथापि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने परिपत्र और श्रेणीकरण सूची की वैधता को बरकरार रखा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया: के लिए नगर निगम की प्रचार नीति

अतिरिक्त पद तर्कहीन या मनमाना नहीं हैं या डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं-अतिरिक्त पदों का सृजन करते समय, नगर निगम ने डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के पदोन्नति के अवसरों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया है जो अपनी सेवा में रुके हुए हैं-इसने पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं, हालांकि विभिन्न नियमों और शर्तों पर-सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, विधायिका या उसके प्रतिनिधि को व्यक्तियों की गुणवत्ता तय करने के लिए पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए क्योंकि विभिन्न पदों के विपरीत परिपत्र इंगित करता है कि अतिरिक्त पद थे।

एस. ए. ई. के बीच ठहराव को दूर करने के लिए बनाया गया, इस प्रकार, परिपत्र और श्रेणीकरण सूची मनमानेपन और भेदभाव के दुष्प्रभाव से ग्रस्त नहीं हैं-डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश-कलकत्ता नगर निगम सेवा (सामान्य संवर्ग) विनियमों को बरकरार रखा गया।

720 चंदन बनर्जी बनाम। कृष्णा प्रसाद घोष

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1. अतिरिक्त पदों का सृजन करते हुए, कोलकाता

नगर निगम-के. एम. सी. ने डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के पदोन्नति के अवसरों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया है जो अपनी सेवा में ठहर गए हैं। इसने उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया है, हालांकि अलग-अलग शर्तों पर और

शर्तें। इस प्रकार, अतिरिक्त पदों के लिए के. एम. सी. की पदोन्नति नीति तर्कहीन या मनमाना नहीं है।

डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. को नुकसान। सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, विधायिका या उसके प्रतिनिधि को विभिन्न पदों के बजाय व्यक्तियों की गुणवत्ता तय करने के लिए पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए। जब तक ये निर्णय मनमाने नहीं हैं, तब तक इस न्यायालय को नीतिगत क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। इस प्रकार, आक्षेपित परिपत्र और बाद की श्रेणीकरण सूची मनमानेपन और भेदभाव के दुष्प्रभाव से ग्रस्त नहीं है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को बरकरार रखा गया है। [पारस 42,43] [748-ई-एच; 749-ए]

2. कर्मचारियों की पदोन्नति/चयन के उद्देश्य से किए गए वर्गीकरण के संबंध में सिद्धांत इस प्रकार हैं:

व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए

((i)

कृत्रिम असमानताएँ। वर्गीकरण को उचित आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए इच्छित उद्देश्य और उद्देश्य के साथ संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 14 और 16 को पारित करना;

((ख)

वर्गीकरण के मामलों में न्यायिक समीक्षा सीमित है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वर्गीकरण उचित है और प्राप्त करने के लिए वांछित उद्देश्य के साथ एक संबंध रखता है। न्यायालय वर्गीकरण के आधार के गणितीय मूल्यांकन में शामिल नहीं हो सकते हैं या विधायिका या उसके प्रतिनिधि के ज्ञान को उनके ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

स्वयं के;

(iii) आम तौर पर, शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामलों में एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण के लिए एक वैध आधार है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है; [2021] 11 एस. सी. आर.

((iv) विभिन्न स्रोतों से लिए गए और एकीकृत व्यक्ति।

एक सामान्य वर्ग में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंतर किया जा सकता है पदोन्नति, जहाँ यह के साथ एक संबंध रखता है

पदोन्नति पद में आवश्यक दक्षता;

(v)

शैक्षणिक योग्यता का उपयोग परिचय के लिए किया जा सकता है। व्यक्तियों के एक निश्चित वर्ग के लिए पदोन्नति के लिए कोटा; या यहां तक कि दूसरों के बहिष्कार के लिए पूरी तरह से एक वर्ग तक पदोन्नति को प्रतिबंधित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है;

(vi) शैक्षिक योग्यता का उपयोग एक मानदंड के रूप में किया जा सकता है।

पदोन्नति के लिए वर्गीकरण बढ़ाने के लिए

उच्च पदों पर प्रशासनिक दक्षता; और

(vii) तथापि, इन आधारों पर किया गया वर्गीकरण -

शैक्षणिक योग्यता का संबंध इसके साथ होना चाहिए

वर्गीकरण का उद्देश्य या सीमा

योग्यताओं में अंतर। [पैरा 26] [743-ए-जी]

मैसूर राज्य बनाम। पी नरसिंह राव ए. आई. आर 1968 एस. सी. 349;

गंगा राम बनाम। भारत संघ (1970) 1 एस. सी. सी. 377: [1970] 3 एस. सी. आर. 481; भारत संघ बनाम। डॉ (श्रीमती) एस. बी. कोहली (1973) 3 एस. सी. सी. 592; रोशन लाल टंडन बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया एयर

1967 एससी 1889; मोहम्मद शुजात अली बनाम। भारत संघ

(1973) 3 एस. सी. सी. 76; रूप चंद अदलखा बनाम। दिल्ली

विकास प्राधिकरण 1989 पूरक (1) एस. सी. सी. 116; एम.

रथिनस्वामी बनाम। तमिलनाडु राज्य (2009) 2 एससीसी (एलएस)

101 ; उत्तराखंड राज्य बनाम। एसके सिंह (2019) 10 एससीसी

49 : [2019] (10) जेटी 264; ए. एस. अय्यर बनाम। वी बालासुब्रमण्यम (1980) 1 एस. सी. सी. 634: [1980] 1 एससीआर 1036; भारत संघ वी. अतुल शुक्ला (2014) 10 एस. सी. सी. 432: [2014] 14 एससीआर

1151 ; महाराष्ट्र वन रक्षक और वन रक्षक संघ

वी. महाराष्ट्र राज्य (2018) 1 एस. सी. सी. 149: [2017] 14

एस. सी. आर. 446; भारतीय खाद्य निगम बनाम। ओम प्रकाश

(1998) 7 एस. सी. सी. 676 [1998] 3 एस. सी. आर. 1193-संदर्भित। 3.1 अपीलार्थियों ने इस तथ्य का विरोध नहीं किया है कि

राष्ट्रीय योग्यता सार्वजनिक रोजगार में वर्गीकरण के लिए एक वैध आधार नहीं है, या यह कि पदोन्नति के रास्ते चंदन बनर्जी बनाम हैं।

कृष्णा प्रसाद घोष

जिन्हें पात्र होने के लिए बीस-पाँच साल के अनुभव की आवश्यकता होती है, जबकि डिग्री धारक एस. ए. ई. को तेरह साल के अनुभव की आवश्यकता होती है। [पैरा 28] [744-ए-सी] 3.2 अपीलार्थियों द्वारा त्रिलोकीनाथ खोसा के मामले को पढ़ने का आग्रह मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। त्रिलोकीनाथ खोसा के मामले में,

न्यायालय ने इस सुस्थापित सिद्धांत को स्वीकार किया था कि एक बार प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों को एक सामान्य पूल में एकीकृत किया जाता है, स्रोत के आधार पर उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है

भर्ती '। हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अन्य उचित आधारों पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, क्या भर्ती की दो अलग-अलग धाराएँ हैं, या एक ही स्रोत है

भर्ती को एक सामान्य समूह में विलय कर दिया गया, त्रिलोकीनाथ खोसा के मामले में जिस वर्गीकरण को बरकरार रखा गया था, वह शैक्षिक योग्यता पर आधारित था, जिसे बढ़ाने के उद्देश्य से जोड़ा गया था

संगठन में प्रशासनिक दक्षता। [पैरा 30] [744-ई, एफ-एच]

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम श्री त्रिलोकीनाथ खोसा (1974) 1 एस. सी. सी. 19: [1974] 1 एससीआर 771-पर निर्भर।

3.3 भर्ती विनियम और के. एम. सी. द्वारा उनके बाद के संशोधनों से पता चलता है कि प्रशासन ने

उच्च पद के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता का स्तर, प्रबंधकीय और तकनीकी कार्यभार में वृद्धि, और कार्य में वृद्धि पर्यवेक्षी कार्य। यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं है कि एक उच्च शैक्षिक डिग्री, [2021] 11 एस. सी. आर. के निर्धारित वर्षों के साथ।

अनुभव, ए. ई. की स्थिति में कुछ लाभ ला सकता है जो प्रबंधन चाहता है। किसी भी मामले में, यह निर्णय लेना इस न्यायालय का काम नहीं है कि क्या उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रबंधन के उद्देश्यों को पूरा करेगी, जब तक कि शैक्षिक योग्यता और उच्च दक्षता की आवश्यकता के बीच संबंध बेतुका, तर्कहीन या मनमाना नहीं है। शैक्षणिक योग्यताओं को उच्च प्रशासनिक दक्षता से जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार इस आधार पर वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है। [पैरा 38] [746-सी-ई, जी-एच; 747-ए-बी]

3.4 "अतिरिक्त" शब्द को "सामान्य या आवश्यक संख्या से अधिक उपस्थिति" के रूप में परिभाषित किया गया है, या "एक नियमित कर्मचारी से संबंधित नहीं है लेकिन अतिरिक्त काम के लिए लगा हुआ है"। एक "अतिरिक्त पद" को "सामान्य रूप से बताए गए पद या पद से अधिक" के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्धारित संख्या "। विवादित परिपत्र इंगित करता है कि ये अतिरिक्त पद एस. ए. ई. के बीच ठहराव को दूर करने के लिए बनाए गए थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एस. ए. ई. को एक बार इन अतिरिक्त पदों पर ए. ई. के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

ए. ई. के कार्य और कार्यों को पूरा करना। इस प्रकार, यह केवल एक एस. ए. ई. के पदनाम में एक ए. ई. में परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसमें कार्यभार, पर्यवेक्षी कार्यों और ए. ई. के नियमित कार्यों के प्रदर्शन में वृद्धि शामिल है। चूंकि यह मामला है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि नियमित पदोन्नति के माध्यम से ए. ई. संवर्ग में उच्च डिग्री धारकों की आवश्यकता का अंतर्निहित तर्क अतिरिक्त पदों के मामले में लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, विवादित परिपत्र के लिए एक चुनौती तब तक कायम नहीं रह सकती थी जब तक कि विभिन्न पात्रता शर्तें प्रदान करने के बजाय, के. एम. सी. ने एक निश्चित संख्या में अतिरिक्त पदों के निर्माण का प्रावधान किया हो।

जिसमें से एक अनुपात डिग्री धारक एस. ए. ई. के लिए आरक्षित था। चूंकि ये पद अधिक संख्या में हैं और पात्र व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर हैं, इसलिए पदों की एक निश्चित संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। शायद यही कारण है कि के. एम. सी. ने पदोन्नति देने के नियमित तरीके से हटने की कोशिश की और अलग पात्रता शर्तों को लागू करने का विकल्प चुना। इसलिए, शैक्षिक आधार पर अतिरिक्त ए. ई. पदों पर पदोन्नति के लिए अलग पात्रता शर्तें।

योग्यता के. एम. सी. की पिछली पदोन्नति प्रथाओं के अनुरूप है और यह एक अनुचित वर्गीकरण नहीं है। [पैरा 40] [747-डी-जी; 748-ए-सी] चंदन बनर्जी बनाम।

कृष्णा प्रसाद घोष

लेक्सिकॉन, द एनसिलोपैडिक लॉ निर्णय पी। 1838 - संदर्भित किया गया।

3.5 अन्यथा भी, आक्षेपित परिपत्र के खंड 3 में प्रावधान है कि इन अतिरिक्त पदों को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा -

और जब किसी ए. ई. के स्वीकृत पदों के भीतर कोई रिक्ति उपलब्ध हो। इसके अलावा, खंड 5 में कहा गया है कि ए. ई. के पदों के लिए भर्ती विनियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि डिग्री या डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. की नियमित पदोन्नति विवादित परिपत्र के माध्यम से प्रभावित नहीं होती है। जैसे ही और जब स्वीकृत ए. ई. पदों में रिक्तियां आती हैं, तो अतिरिक्त पदों पर आसीन ए. ई. भर्ती के अधीन होंगे।

एस. ए. ई. को ए. ई. में पदोन्नत करने के लिए विनियम और चयन प्रक्रिया। अतिरिक्त पद योग्य ए. ई. के लिए व्यक्तिगत हैं और नियमित रूप से ए. ई. के रूप में पदोन्नत होने या सेवा में बने रहने पर समाप्त हो जाएंगे। [पैरा 41] [748-सी-ई]

मानस कुमार सिन्हा बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। 2008 की रिट याचिका 3720 (डब्ल्यू); भारत संघ बनाम। अतुल शुक्ला और अन्य। (2014) 10 एससीसी 432: [2014] 14 एससीआर 1151; Co.AS अय्यर और अन्य। वी. बाला सुब्रमण्यन और अन्य। (1980) 1 एससीसी 634: [1980] 1 एससीआर 1036; पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. वी. रविंदर कुमार शर्मा और ओआरएस। (1986) 4 एससीसी 617: [1987] 1 एस. सी. आर. 72; रूप चंद अदलखा बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य

1989 सपं. (1) एस. सी. सी. 116: [1988] (3) पूरक। एस. सी. आर. 253; उत्तराखंड राज्य बनाम। एसके सिंह (2019) 10 एससीसी 49:

[2019] (10) जे. टी. 264-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1980] 1 एससीआर 1036

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

[1987] 1 एससीआर 72

पैरा 12

(iii)

संदर्भित किया गया है

[1988] (3) पूरक। एससीआर 253

पैरा 13

(iv)

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 1968 एससी 349

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[1970] 3 एससीआर 481

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2021] 11 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1973) 3 एस. सी. सी. 592

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1889

पैरा 26

(1973) 3 एससीसी 76

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

पैरा 26

1989 पूरक (1) एस. सी. सी. 116

संदर्भित किया गया है

(2009) 2 एससीसी (एलएस) 101

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

(2019) 10 एससीसी 49

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

[1980] 1 एससीआर 1036

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2014] 14 एससीआर 1151

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2017] 14 एससीआर 446

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

[1998] 3 एससीआर 1193

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[1974] 1 एससीआर 771

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.5582

2021 .

उच्च न्यायालय के 25.01.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के एफ. एम. ए. No.782 में कलकत्ता में न्यायपालिका।

बिकाश रंजन भट्टाचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अचिंता बनर्जी,

रघुनाथ चक्रवर्ती, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अमित शर्मा, सुश्री पल्लवी बरुआ, दीपेश सिन्हा, सुजॉय मंडल,

सुश्री रेशमी रिया सिन्हा, सुकेश घोष, सर्वेश सी. एच. श्रीवास्तव, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक

ए.

तथ्य।

..... 2

B पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ।

9

कानूनी स्थिति।

..... 12

डी विश्लेषण।

..... 22

निष्कर्ष।

ई.

..... 29 चंदन बनर्जी बनाम। कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

1. अपील 25 जनवरी 2019 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के एक फैसले से उत्पन्न होती है। डिवीजन बेंच कोलकाता नगर निगम 1 के 3 जुलाई 2012 के एक परिपत्र को बरकरार रखा, जिसमें सहायक अभियंता 3 के रूप में अतिरिक्त नियुक्तियों के लिए डिप्लोमा और डिग्री धारक उप सहायक अभियंता 2 के लिए अलग-अलग शर्तें निर्धारित की गई थीं। विवादित परिपत्र के अनुसरण में तैयार की गई 5 जुलाई 2012 की श्रेणीकरण सूची को भी बरकरार रखा गया है।

2. अपीलार्थी, जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले एस. ए. ई. हैं, ने 3 जुलाई 2012 के परिपत्र और श्रेणीकरण सूची को इस आधार पर चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की कि एस. ए. ई. के उसी संवर्ग के भीतर वर्गीकरण के उद्देश्य से

अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

भारत का संविधान। 6 अक्टूबर 2015 के एक फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका की अनुमति दी और परिपत्र को मनमाना और असंवैधानिक ठहराया। एक लेटर्स पेटेंट अपील में, डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया और कहा कि

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया गया वर्गीकरण सहायक अभियंता के उच्च पद पर अतिरिक्त नियुक्तियाँ, है

वैध है।

एक तथ्य

3. बीसम प्रतिवादी के. एम. सी. के इंजीनियरिंग विभाग में दो अलग-अलग सेवा कैडर हैं: (i) अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा और (ii) इंजीनियरिंग सेवा। अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा में प्रवेश पद एक अधीनस्थ सहायक अभियंता (एस. ए. ई.) है, जिसके लिए

न्यूनतम योग्यता सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल शाखाओं में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। यद्यपि न्यूनतम आवश्यकता डिप्लोमा की है, इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाला व्यक्ति भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र है। चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा शामिल होती है, जिसके बाद नगर सेवा

आयोग द्वारा आयोजित एक साक्षात्कार होता है। इसके अनुसार, एक योग्यता सूची तैयार की जाती है। अधीनस्थ अभियान्त्रिकी सेवा के संवर्ग में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास

इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री, कई डिग्री धारकों ने नियुक्ति के बाद योग्यता प्राप्त की है। एस. ए. ई. के पद से पहली पदोन्नति एक सहायक अभियंता (ए. ई.) के रूप में होती है, जिसके बाद एक एस. ए. ई. प्रमुख के पद तक लगातार पदोन्नति की आकांक्षा कर सकता है।

1 " केएमसी "

2 " एस ए ई "

3 " एई

"[2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंजीनियर। ए. ई. इंजीनियरिंग सेवा संवर्ग में प्रवेश स्तर का पद है, जिसके लिए सीधी भर्ती एक पद धारण करने वाले व्यक्तियों से की जाती है।

इंजीनियरिंग की डिग्री। इस प्रकार, ए. ई. के पद को सीधी भर्ती या एस. ए. ई. की पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकता है।

4. 23 दिसंबर 1994 को कलकत्ता नगर निगम ने

सेवा (सामान्य संवर्ग) विनियमों को कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1980 की धारा 20 के तहत अधिसूचित किया गया था। भर्ती विनियम सभी विभागों और कार्यालयों के तहत कर्मचारियों पर लागू होते हैं और सेवा की अन्य शर्तों के साथ-साथ सामान्य संवर्गों के प्रबंधन और नियंत्रण, वरिष्ठता और भर्ती का प्रावधान करते हैं। भर्ती विनियमों का नियम 9 ए. ई. और एस. ए. ई. के पद के लिए भर्ती की विधि प्रदान करता है, जो नीचे दी गई तालिका में निहित है:

सहायक अभियंता

50 % सहायक अभियंता की कुल संवर्ग संख्या के पद

(सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)

सीधी भर्ती के लिए योग्यताएँ

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके समकक्ष।

वर्ष की पहली जनवरी को आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विज्ञापन से।

वांछनीय: एक वर्ष का स्नातकोत्तर व्यावहारिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक इंजीनियरिंग अनुभव का अध्ययन या अनुसंधान।

उप-सहायक अभियंता

केवल आवश्यक अवलोकन करते हुए सीधी भर्ती द्वारा

औपचारिकताएं

(सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)

सीधी भर्ती के लिए योग्यताएँ

राज्य इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा परिषद, पश्चिम बंगाल से सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इसके समकक्ष। वर्ष की पहली जनवरी को आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विज्ञापन से।

वांछनीय: एक वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण या अध्ययन या अनुसंधान या व्यावहारिक इंजीनियरिंग का अनुभव।

ध्यान दें: डिप्टी चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और सब-असिस्टेंट इंजीनियर के प्रत्येक संवर्ग को सिविल, मैकेनिकल और सब-असिस्टेंट इंजीनियर के लिए स्ट्रीमवाइज किया जाएगा।

विद्युत।

5. भर्ती विनियमों को 7 अगस्त 1997 को संशोधित किया गया था।

ए. ई. के पद पर नियुक्ति के तीन तरीके प्रदान करना: (i) ए. ई. से नीचे के पद पर कम से कम 10 साल का अनुभव रखने वाले एस. ए. ई. की पदोन्नति; (ii) सीधी भर्ती; और (iii) सभी में से एस. ए. ई. के चयन द्वारा पदोन्नति।

4 1994-95 का परिपत्र संख्या 69; इसके बाद "भर्ती विनियम" चंदन बनर्जी बनाम.

कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डिग्री रखने वाले विषय। उपरोक्त तीन धाराओं के लिए कोटा था 45 प्रतिशत पर तयः 45 % : 10 % . संशोधित विनियम नीचे दिए गए हैंः

पदोन्नति के लिए

सहायक-इंजीनियर

45 % कुल संवर्ग संख्या के पद का

(सिविल)/यांत्रिक/विद्युत।

सहायक अभियंता को भरा जाएगा सहायक अभियंता के पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले उप-सहायक अभियंता के लिए सामान्य संवर्ग के पदों से पदोन्नति और उक्त संवर्ग की संख्या का 45 प्रतिशत आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करते हुए सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा और 10 प्रतिशत पदों को सहायक अभियंता के पद पर चयन द्वारा पदोन्नति के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले उप-सहायक अभियंताओं में से योग्यता के आधार पर पदोन्नति सख्ती से की जाएगी।

उप-सहायक के पद पर 10 (दस) वर्ष का अनुभव रखने वाले संबंधित विषय इंजीनियर।

6. ए. ई. के पद के लिए भर्ती नियमों को संशोधित किया गया था

के. एम. सी. द्वारा और 20 फरवरी 2002 के एक परिपत्र द्वारा अधिसूचित, जिसमें कहा गया था किः

50 % ए. ई. के संवर्ग की कुल संख्या को इस प्रकार भरा जाएगा -

((i)

सामान्य संवर्ग में आने वाले पदों से पदोन्नति

एस. ए. ई. के रूप में कम से कम दस साल का अनुभव रखने वाला एस. ए. ई.;

((ख)

15 % ए. ई. की कुल संवर्ग संख्या के पद को भरा जाएगा।

इंजीनियरिंग रखने वाले एस. ए. ई. में से पदोन्नति द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष; और

एस. ए. ई. के रूप में कम से कम दस साल का अनुभव होना जो न्यूनतम पाँच वर्ष की डिग्री के रूप में होनी चाहिए

समतुल्य) संबंधित धाराओं में एस. ए. ई. धारक; और

35 % संवर्ग की कुल संख्या को प्रत्यक्ष रूप से भरा जाएगा।

(iii)

आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करते हुए भर्ती।

7. इस परिपत्र को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी।

न्यायालय, जिसका निपटारा उस मामले में याचिकाकर्ताओं को के. एम. सी. के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के निर्देश के साथ किया गया था। 5 डी एम सी (पी) का परिपत्र No./4/2001-2002 6 मानस कुमार सिन्हा बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। , 2008 की रिट याचिका 3720 (डब्ल्यू) [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. के. एम. सी. ने एस. ए. ई. के पद से ए. ई. के अगले उच्च पद पर पदोन्नति में ठहराव को दूर करने के प्रयास में एक परिपत्र 1 जारी किया

दिनांक 17 जून 2008। परिपत्र, जिसे पहली कैरियर उन्नति योजना के रूप में भी जाना जाता है, ने वेतन के मूल पैमाने (रु। 8,000 -275 / -1000) ए. ई. से लेकर एस. ए. ई. तक जिन्होंने के. एम. सी. में बीस साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है।

9. 2012 में, के. एम. सी. के कार्मिक विभाग द्वारा ए. ई. के रैंक में अतिरिक्त पदों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रसारित किया गया था।

एस. ए. ई. के लिए प्रचार के रास्ते खोलना। इस प्रस्ताव का कारण एस. ए. ई. द्वारा सामना किए गए ठहराव को ठीक करना था, जिन्हें बीस से पच्चीस साल की सेवा पूरी करने के बावजूद पदोन्नत नहीं किया गया था और इस प्रकार उन्हें पदच्युत कर दिया गया था। इसके अलावा, कुछ एस. ए. ई. ने सेवा में रहते हुए इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी, और फिर भी उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया था। प्रस्ताव में डिप्लोमा रखने वाले एस. ए. ई. और डिग्री रखने वालों (एस. ए. ई. के रूप में के. एम. सी. में शामिल होने से पहले या सेवा के दौरान प्राप्त) के बीच अंतर पैदा करने का प्रयास किया गया था। पहले वाले को ए. ई. के पद पर पदोन्नत किया जाएगा यदि उन्होंने पच्चीस साल की सेवा पूरी कर ली है, जबकि बाद वाले को तेरह साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने पर पदोन्नत किया जाएगा, जिसमें से पांच साल डिग्री धारक के रूप में कार्य करते हैं।

10. यह प्रस्ताव, जिसे दूसरी कैरियर उन्नति योजना माना जाता था, दिनांकित विवादित परिपत्र द्वारा लागू किया गया था। 3 जुलाई 2012। परिपत्र अतिरिक्त ए. ई. के निर्माण को निर्धारित करता है।

डिप्लोमा रखने वाले और पच्चीस साल की सेवा पूरी करने वाले एस. ए. ई. और डिग्री रखने वाले और तेरह साल की सेवा पूरी करने वाले एस. ए. ई. के लिए पद (जिनमें से पांच साल डिग्री धारक के रूप में थे)। आक्षेपित परिपत्र के खंड 3 में कहा गया है कि अतिरिक्त पद ए. ई. के स्वीकृत पदों के भीतर जब भी कोई रिक्ति उपलब्ध होगी, स्थायी रिक्तियों के साथ समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, विवादित परिपत्र के खंड 5 में प्रावधान है कि ए. ई. के पदों के लिए मौजूदा भर्ती विनियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। के अनुसरण में

विवादित परिपत्र, 5 जुलाई 2012 के एक कार्यालय आदेश ने एस. ए. ई. की एक सूची प्रकाशित की, जिन्हें ए. ई. के पद पर पदोन्नत किया गया था।

अतिरिक्त पद। आक्षेपित परिपत्र और उसके बाद के दोनों

11. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि जब अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति एक सामान्य नियम के अधीन होते हैं ' डी. एम. सी. (पी) का परिपत्र सं. 06/IIIB/2008-09; इसके बाद "फर्स्ट करियर एडवांसमेंट स्कीम" चंदन बनर्जी बनाम।

कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

भर्ती प्रक्रिया और उसके बाद चयन किया जाता है, उस संवर्ग में बाद का वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पदोन्नति के लिए वर्गीकरण उन एस. ए. ई. को पुरस्कृत करने के लिए नहीं किया गया था जिन्होंने सेवा के दौरान अपनी शैक्षिक योग्यता में सुधार किया था, बल्कि यह सभी डिग्री धारकों को दिया जाने वाला लाभ था। इसके विपरीत, अपील में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित परिपत्र और श्रेणीकरण सूची की वैधता को बरकरार रखा और एकल न्यायाधीश के विचार को उलटते हुए कहा कि:

(i) के आधार पर एस. ए. ई. से ए. ई. में पदोन्नति के लिए कोटा

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव 7 पर बनाया गया था। अगस्त 1997, और विवादित परिपत्र द्वारा नहीं। इस तरह के भेद करने वाले पिछले परिपत्रों को चुनौती नहीं दी गई है और वे जारी हैं।

((ख)

उनकी योग्यता के बावजूद, एस. ए. ई. को दिया जाता है

बीस साल की सेवा के पूरा होने पर ए. ई. का मूल वेतनमान। अतिरिक्त पद बनाकर आक्षेपित परिपत्र, केवल एस. ए. ई. को ए. ई. के रूप में नामित करता है। कोई अन्य लाभ नहीं है।

इस पदनाम के अलावा प्रदान किया गया;

(iii)

आक्षेपित परिपत्र मौजूदा को संशोधित नहीं करता है

प्रचार के रास्ते, लेकिन केवल कुछ योग्य एस. ए. ई. को ए. ई. की उपाधि प्रदान करके उनकी पूर्ति करते हैं। ये अतिरिक्त पद बनाए जाने पर स्थायी रिक्तियों के खिलाफ समायोजन के अधीन हैं। इस प्रकार, सामान्य

ए. ई. संवर्ग की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है।

(iv) विवादित परिपत्र प्रचार में कोई बदलाव नहीं करता है।

डिप्लोमा रखने वाले एस. ए. ई. के अवसर, और न ही यह डिग्री धारक के पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाता है। इस प्रकार, 20 फरवरी 2002 के परिपत्र द्वारा सृजित पदों का कोटा

(दिनांक 17 जून 2008 के परिपत्र द्वारा संशोधित), विवादित परिपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है; और

(v)

जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाम। श्री त्रिलोकीनाथ खोसा 3, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया गया वर्गीकरण अनुच्छेदों के तहत मनमाना या अस्वीकार्य नहीं है

14 या संविधान के 16. द्वारा किया गया वर्गीकरण

8 (1974) 1 एससीसी 19 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. एम. सी. का ठहराव वाले एस. ए. ई. के बीच निराशा को दूर करके दक्षता बढ़ाना भी इसी तरह का नीतिगत निर्णय है, जिसे लेना चाहिए।

हस्तक्षेप न करें।

B पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

12. श्री बिकाश रंजन भट्टाचार्य, विद्वान वरिष्ठ वकील

डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. वाले अपीलार्थियों की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

अपील के निजी उत्तरदाता ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास

((i)

एक इंजीनियरिंग की डिग्री, जो एस. ए. ई. के संवर्ग में शामिल हुई थी

उक्त पद के लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होने के बावजूद। 20 फरवरी 2002 के परिपत्र के अनुसार इन व्यक्तियों के पास पहले से ही ए. ई. के पद पर पदोन्नति के लिए 15 प्रतिशत का अलग आरक्षण है।

((ख)

विवादित परिपत्र ने एक प्रोत्साहन प्रदान करने की मांग की

पदोन्नति के लिए एस. ए. ई. को स्थिर करना। हालांकि, के. एम. सी. यह सूचित करने में विफल रहा कि मौजूदा एस. ए. ई. अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

अतिरिक्त पदों का सृजन करके पदोन्नति का लाभ उठाने के लिए योग्यता। इस तरह की सूचना के अभाव में, उन व्यक्तियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता है जो

एक सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती की गई है;

(iii)

भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। अतुल शुक्ला

& ओरस '। ; कं. ए. एस. अय्यर और अन्य। वी. बाला सुब्रमण्यन और अन्य। 1 0 10; पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्र. वी. रविंदर कुमार शर्मा और Ors.[11] 11 इंगित करते हैं कि एक बार जब व्यक्ति किसी सेवा के सदस्य बन जाते हैं, तो वे बराबर होते हैं और वेतन, वरिष्ठता, पदोन्नति और सेवा की शर्तों के उद्देश्य से अलग नहीं किया जा सकता है। एक कैरियर उन्नति योजना एक प्रोत्साहन और एक वर्ग है

इस लाभ को देने के लिए वर्ग नहीं बनाया जा सकता है;

(iv) उच्च न्यायालय का विवादित आदेश त्रिलोकीनाथ खोसा (उपरोक्त) के अनुपात की सराहना करने में विफल रहा, जहां इस न्यायालय ने डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए पदोन्नति के अलग-अलग माध्यमों को बरकरार रखा था क्योंकि उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न माध्यमों से भर्ती किया गया था। इस मामले में, चयन एक सामान्य चैनल के माध्यम से किया गया था;

(1980) 1 एस. सी. सी. 634

(1986) 4 एस. सी. सी. 617 चंदन बनर्जी बनाम। कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(v) अपील के लंबित रहने के दौरान, के. एम. सी. ने 4 मार्च 2021 को एक प्रारूप श्रेणीकरण सूची जारी की है, जो इंगित करती है कि

डिप्लोमा रखने वाले एस. ए. ई. के पास प्रचार का कोई प्रभावी मार्ग नहीं होगा क्योंकि उन्हें अतिरिक्त पदों के लिए पदोन्नत किया जाता है। सृजित किए गए पहले ए. ई. के मूल पदों पर आसीन होंगे; और

(vi) आक्षेपित परिपत्र का प्रभाव यह होगा कि एक कनिष्ठ

डिग्री रखने वाले एस. ए. ई. को डिप्लोमा रखने वाले और अधिक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ एस. ए. ई. की तुलना में तेजी से पदोन्नत किया जाएगा।

13. श्री भट्टाचार्य की दलीलों का विरोध करते हुए, श्री सुजॉय

के. एम. सी. की ओर से पेश विद्वान वकील दल ने प्रस्तुत किया है:

((i)

भर्ती विनियम प्रदान करते हैं कि शैक्षिक

योग्यता भर्ती के मानदंडों में से एक है और साथ ही

के. एम. सी. की इंजीनियरिंग सेवा में पदोन्नति;

विवादित परिपत्र का उद्देश्य इसे खोलना था

((ख)

एस. ए. ई. को स्थिर करने के लिए प्रचार के रास्ते। हालाँकि, इस परिपत्र द्वारा न तो एस. ए. ई. को ए. ई. के महत्वपूर्ण पदोन्नति पद दिए गए हैं और न ही उन्हें कोई वित्तीय लाभ दिया गया है। उन्हें केवल एक पदनाम से सम्मानित किया गया है

कुशल प्रशासनिक कार्यप्रणाली के लिए ए. ई.

एक नियोक्ता के रूप में, के. एम. सी. को एक अंतर बनाने का अधिकार है।

(iii)

कर्तव्य के प्रभावी निर्वहन और निराशा को दूर करने के लिए

एस. ए. ई.; और

((iv) त्रिलोकीनाथ खोसा मामले में इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए

(ऊपर), रूप चंद अदलखा बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य 1 2 12; उत्तराखंड राज्य बनाम। एस. के. सिंह 1 3 13 और अन्य मामले, यहां तक कि जहां अलग-अलग योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अवसर दिया जाता है पदोन्नति, पूर्ण समानता को बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि प्रशासन कम योग्य लोगों को विभिन्न शर्तों पर पदोन्नति का अवसर देने पर विचार कर सकता है।

उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित करना।

14. श्री अमित शर्मा, दूसरे, छठे, सातवें, आठवें और नौवें उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील जो डिग्री धारक हैं

, श्री मंडल की दलीलों का समर्थन किया है और आग्रह किया है कि:

प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं में से किसी के पास इंजीनियरिंग नहीं थी

((i)

एस. ए. ई. के पद पर भर्ती के समय डिग्री, और

सेवा के दौरान उन्हें प्राप्त किया था;

((ख)

एस. ए. ई. से पदोन्नति के लिए कोटा प्रदान करने वाला पहला परिपत्र

शैक्षिक योग्यता के आधार पर ए. ई. को 7 अगस्त 1997 का दिनांक दिया गया था, जिसे आज तक चुनौती नहीं दी गई है। इसी तरह 20 फरवरी 2002 का परिपत्र था -

असफल रूप से चुनौती दी गई और 17 जून का परिपत्र

2008 चुनौती नहीं दी गई थी; और वर्तमान मामला रूप चंद के फैसले के समान है।

(iii)

अदलखा (ऊपर), जहाँ कनिष्ठ अभियंताओं की श्रेणी में स्नातक और डिप्लोमा धारक दोनों शामिल होते हैं और एक नियम जिसके तहत विभिन्न अवधि की योग्यता सेवा प्रदान की जाती है।
पदोन्नति को चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने इस नियम को बरकरार रखते हुए कहा कि शैक्षिक योग्यता में अंतर हो सकता है

आवश्यक अनुभव की लंबाई में अंतर द्वारा क्षतिपूर्ति की गई

फीडर पोस्ट में।

15. पक्षों की दलीलों को स्वीकार करने के बाद, हम अब इस मुद्दे को संबोधित करेंगे।

सी कानूनी स्थिति

16. एक संकीर्ण दिशा में न्यायालयों के समक्ष मुद्दा। द.

विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या एक सामान्य स्रोत से लिए गए व्यक्ति जिन्हें एक संवर्ग में एकीकृत किया गया है, उन्हें पदोन्नति के उद्देश्य से शैक्षिक योग्यता के आधार पर अलग किया जा सकता है।

अतिरिक्त पद।

17. पदोन्नति के उद्देश्य से किए गए वर्गीकरण को चुनौती संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा गारंटीकृत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता और समान व्यवहार के आधार पर है। संविधान राज्य के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर गैर-भेदभाव का सिद्धांत स्थापित करता है। इस गारंटी के तहत, समान रूप से स्थित व्यक्ति

समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि अनुच्छेद 16 कर्मचारियों के चयन के लिए राज्य द्वारा उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है।

18. इस सवाल पर लोकस क्लासिकस कि क्या शैक्षिक है

योग्यता का उपयोग पदोन्नति के उद्देश्य से एक वर्ग में एकीकृत व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण के लिए एक मानदंड के रूप में किया जा सकता है, यह निर्णय चंदन बनर्जी बनाम का है।

कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। त्रिलोकीनाथ खोसा 1 4. इस मामले में, अपीलार्थियों की इंजीनियरिंग सेवा शाखा में सहायक अभियंता का पद सीधी भर्ती के माध्यम से या अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा के संवर्ग से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता था। 1970 में एक नियम पेश किया गया था जिसमें कार्यकारी अभियंता के अगले उच्च पद पर पदोन्नति को केवल उन सहायक अभियंताओं के लिए सीमित किया गया था जिनके पास इंजीनियरिंग में डिग्री थी या जिनके पास A.M.I.E की योग्यता थी और जिन्होंने सात साल की सेवा दी थी। उत्तरदाता, जो डिप्लोमा धारक थे और सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत थे, ने भेदभाव के आधार पर नियम को चुनौती दी। संविधान पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए व्यक्तियों को, जो एक वर्ग में एकीकृत हैं, तब उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कुछ व्यक्तियों को तरजीही उपचार की अनुमति देने के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने पीठ की ओर से बोलते हुए सार्वजनिक रूप से वर्गीकरण के मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमा के बारे में विस्तार से बताया

रोजगार और देखा कि

" 32. इसलिए न्यायिक जांच केवल इस विचार तक विस्तारित हो सकती है कि क्या वर्गीकरण उचित आधार पर आधारित है और क्या यह विचार में उद्देश्य के साथ संबंध रखता है। इसका विस्तार वर्गीकरण के आधार के अच्छे या गणितीय मूल्यांकन को शुरू करने तक नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि ऐसी जांच की अनुमति होती तो यह न्यायालयों के लिए खुला होता कि वे किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने की वर्गीकरण या वांछनीयता की आवश्यकता पर विधायिका या नियम बनाने वाले प्राधिकरण के लिए अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों में सहायक अभियंता किसी भी अवास्तविक या अनुचित आधार पर निर्भर करते हैं। वर्गीकरण, अपीलार्थियों के अनुसार, एक दृष्टिकोण के साथ बनाया गया था

इंजीनियरिंग में प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करना

सेवाएँ। यदि यह उद्देश्य है, तो वर्गीकरण स्पष्ट रूप से इससे सह-संबंधित है, क्योंकि उच्च शैक्षिक योग्यता कम से कम एक उच्च मानसिक उपकरण का अनुमानित प्रमाण है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासनिक दक्षता हो सकती है

केवल उन लोगों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिनके पास तुलनात्मक रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता लेकिन वह है

4 (1974) 1 एस. सी. सी. 19 [2021] 11 एस. सी. आर.

बिंदु के बगल में। प्रासंगिक बात यह है कि वस्तु होना है

यहाँ हासिल करना केवल एक अंधाधुंध का ढोंग नहीं है

असमानताओं को लागू करना और वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है

और तथ्यों और परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखना होता है। एक वर्गीकरण की वैधता का न्याय करने के लिए मामले का।

(जोर दिया गया)

इस मुद्दे पर कि क्या शैक्षिक योग्यता को मान्यता दी जा सकती है

वर्गीकरण के लिए एक मानदंड के रूप में, निर्णय ने मैसूर राज्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों को संदर्भित किया। पी नरसिंह राव 1 5 15; गंगा राम बनाम। भारत संघ 1 6, भारत संघ बनाम। डॉ (श्रीमती) एस. बी. कोहली 1 7 और रोशन लाल टंडन बनाम। भारत संघ 1 8 और नोट किया कि:

(राव मामला, गंगा राम मामला और डॉ. (श्रीमती) कोहली मामला) जिसमें शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है।

बरक़रार रखा गया। नरसिंह राव के मामले में, ट्रेसर समान काम कर रहे हैं

असमान वेतन के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था

वर्गीकरण उच्च शैक्षिक योग्यता है। डॉ. (श्रीमती) कोहली मामला, एक के बीच के रूप में एक वर्गीकरण को परिष्कृत किया

F.R.C.S. सामान्य शल्य चिकित्सा में और एक F.R.C.S. हड्डी रोग में था

प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के संबंध में बरकरार रखा गया

ऑर्थोपेडिक्स। लेकिन इन मामलों को अलग करने की कोशिश की जाती है

रोशन लाल में इस न्यायालय के निर्णय का अधिकार

टंडन बनाम। भारत संघ [ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1889: (1968) 1 एससीआर

185 (1968) 1 एससीजे 746]। वह मामला तथ्यों से भरा हुआ है और

इसकी उचित समझ के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

[.....]

15 ए. आई. आर 1968 एस. सी. 349

16 (1970) 1 एस. सी. सी. 377 17 (1973) 3 एस. सी. सी. 592 18 एयर 1967 एस. सी. 1889 चंदन बनर्जी बनाम।

कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

45. इस प्रकार, रोशन लाल का मामला केवल यह बताता है कि सीधी भर्तियां होती हैं और बढ़ावा देने वाले एक सामान्य में संलयन पर अपने जन्म के निशान खो देते हैं

सेवा की धारा और उसके बाद उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इस विचार के संदर्भ में कि उन्हें भर्ती किया गया था

विभिन्न स्रोत। उनके आनुवंशिक दोष एक बार गायब हो जाते हैं

एक सामान्य वर्ग में एकीकृत हैं और पुनर्जीवित नहीं किए जा सकते हैं ताकि

एक बार फिर बराबर असमान बनाएँ।

पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए अन्य आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है एक की तुलना में कि वे विभिन्न स्रोतों से लिए गए थे। में

तत्काल मामले में, वर्गीकरण निष्पक्ष रूप से और चौकोर रूप से निर्भर करता है

शैक्षिक योग्यताओं पर विचार: केवल स्नातक ही करेंगे

सहायक अभियंता प्रत्यक्ष रूप से या पदोन्नति द्वारा। भेदभाव इसलिए भर्ती के स्रोत के संबंध में नहीं है जैसा कि रोशन में है

लाल मामला।

50. इसलिए हमारी राय है कि हालांकि व्यक्तियों

सीधे नियुक्त और पदोन्नति द्वारा एक में एकीकृत किया गया था सहायक इंजीनियरों के सामान्य वर्ग के लिए, वे कर सकते थे

कार्यकारी अभियंताओं के संवर्ग में पदोन्नति के उद्देश्य, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। द.

नियम यह प्रदान करता है कि स्नातक इस तरह के लिए पात्र होंगे

डिप्लोमा धारकों के बहिष्कार के लिए पदोन्नति नहीं संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है और होना चाहिए

बरक़रार रखा "।

(जोर दिया गया)

19. त्रिलोकीनाथ खोसा (ऊपर) में कथन आगे था

इस पर एक संविधान पीठ के बाद के निर्णय द्वारा व्याख्या की गई

मोहम्मद शुजात अली बनाम में न्यायालय भारत संघ 1. मोहम्मद में। उपरन्तु, न्यायालय को गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों के विपरीत स्नातक पर्यवेक्षकों के लिए सहायक अभियंताओं के उच्च पद पर पदोन्नति में आरक्षित कोटा के लिए चुनौती का सामना करना पड़ा। जस्टिस पी. एन.

पीठ की ओर से बोलते हुए भगवती (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहा कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 28. [.....] लेकिन इन निर्णयों से यह एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी कोई वर्गीकरण भिन्न शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है, तो

वर्गीकरण को वैध माना जाना चाहिए, चाहे वर्गीकरण की प्रकृति और उद्देश्य या शैक्षणिक योग्यताओं में अंतर की गुणवत्ता और सीमा कुछ भी हो। यह याद रखना चाहिए कि "जीवन में संबंध हमेशा सक्षम नहीं होते हैं।

लचीले डिब्बों में विभाजन "। साँचे फैलते और सिकुड़ते हैं। ऐसे मामले में उचित वर्गीकरण की कसौटी को इसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू किया जाना चाहिए। प्रशासन के लिए यह कहना पूरी तरह से वैध हो सकता है कि पद से जुड़े कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक सेवा में दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से, केवल इंजीनियरिंग में डिग्री धारक ही पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, न कि डिप्लोमा या प्रमाण पत्र धारक। जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम में यही हुआ। त्रिलोकी नाथ खोसा और कुछ हद तक

भारत संघ बनाम में भी इसी तरह की स्थिति प्राप्त की गई। डॉ. (श्रीमती) एस. बी. कोहली लेकिन जहां स्नातक और गैर-स्नातक दोनों को योग्य माना जाता है और इसलिए, पदोन्नति के लिए पात्र माना जाता है, यह देखना मुश्किल है कि समान अवसर के दावे के साथ, प्रत्येक के लिए पदोन्नति का कोटा निर्धारित करके और दोनों को वरीयता देकर उनके बीच कोई अंतर कैसे किया जा सकता है।

इस तरह के कोटा के निर्धारण के मामले में गैर-स्नातकों पर स्नातक। पर्यवेक्षकों की दो श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए पदोन्नति का कोटा निर्धारित करने का परिणाम यह होगा कि कब कोई रिक्ति होगी।

सहायक अभियंता के पद पर उत्पन्न होता है, जो कोटा के अनुसार स्नातक पर्यवेक्षकों के लिए आरक्षित है, एक गैर-स्नातक पर्यवेक्षक को उस रिक्ति पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, भले ही वह अन्य सभी स्नातक पर्यवेक्षकों से वरिष्ठ हो और उनसे अधिक उपयुक्त हो। उनकी पदोन्नति का अवसर केवल रिक्तियों तक ही सीमित रहेगा। गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों के लिए उपलब्ध। यह स्पष्ट रूप से उसे समान अवसर से वंचित करने के बराबर होगा।

[.....]

लेकिन फिर भी, हमें नहीं लगता कि हमें आंध्र प्रदेश के नियमों को निरस्त करने के लिए राजी किया जा सकता है।

स्नातक और गैर-स्नातक के बीच अंतर

पर्यवेक्षक। यह भेदभाव कुछ नहीं लाया गया है। आंध्र प्रदेश के नियमों के अनुसार पहली बार। यह हमेशा चंदन बनर्जी बनाम की इंजीनियरिंग सेवाओं में रहा है।

कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

हैदराबाद और आंध्र राज्य। स्नातक

दोनों के तहत गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों से अलग वर्ग हैदराबाद नियम और साथ ही आंध्र नियम और वे

कभी भी एक वर्ग में एकीकृत नहीं किया गया है। इसके तहत

हैदराबाद नियम, स्नातक पर्यवेक्षकों का वेतनमान रु।

176-300 , जबकि गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों की राशि 140-300 थी।

और इसी तरह, आंध्र नियमों के तहत, गैर का वेतन, पैमाना

स्नातक पर्यवेक्षक रुपये 100-250 थे, लेकिन स्नातक पर्यवेक्षक

इस वेतनमान में 150 रुपये के स्तर पर शुरू किया गया था ताकि उनके वेतनमान रुपये 150-250 था। स्नातक पर्यवेक्षक और गैर-स्नातक

पर्यवेक्षकों के साथ भी इस उद्देश्य के लिए अलग व्यवहार किया गया था

नियमों के दोनों सेटों के तहत पदोन्नति। वास्तव में, आंध्र के तहत

स्नातक पर्यवेक्षक। दो वर्गों में एक ही अंतर पुनर्गठित आंध्र प्रदेश राज्य में भी कायम रहा। द.

जूनियर इंजीनियरों का वेतनमान हमेशा से अलग था

गैर-स्नातक पर्यवेक्षक और पदोन्नति के उद्देश्य से,

पर्यवेक्षकों की दो श्रेणियों को अलग और अलग रखा गया था

नियत दिन के बाद भी आंध्र शासन करता है। आम बात

अंततः सरकार द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षकों की श्रेणीकरण सूची भारत के भी दो भाग थे, एक भाग जूनियर से संबंधित था।

इंजीनियरों और गैर-स्नातक पर्यवेक्षकों से संबंधित दूसरा भाग।

इस प्रकार पर्यवेक्षकों की दो श्रेणियों को कभी भी आपस में नहीं जोड़ा गया।

एक वर्ग और असंवैधानिक भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं

उन्हें दिए जा रहे विभेदक उपचार के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए विवाद ई प्रबल नहीं हो सकता है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

20. न्यायालय ने कहा कि इंजीनियरिंग के लिए सेवा नियम

विभाग ने लगातार अंतर बनाए रखा था

स्नातक पर्यवेक्षक और गैर-स्नातक पर्यवेक्षक और वे कभी नहीं थे

एक वर्ग में मिला दिया।

21. रूप चंद अदलखा बनाम। दिल्ली विकास

प्राधिकरण 2 ओ, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि

क्या पदोन्नति के लिए पात्रता की विभिन्न शर्तें प्रदान की जा सकती हैं

डिप्लोमा धारकों और डिग्री धारकों के बीच। मामले के तथ्यों में, उन्होंने लोक निर्माण में जूनियर इंजीनियर के कैडर में प्रारंभिक भर्ती की।1989 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 116 [2021] 11 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी का विभाग दो अलग-अलग स्रोतों से बनाया गया था जो बिना किसी अनुभव के डिग्री धारक और दो साल या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले डिप्लोमा धारक हैं। सहायक के कैडर में पदोन्नति के लिए डिग्री रखने वाले इंजीनियरों, जूनियर इंजीनियरों के पास तीन साल का अनुभव होना आवश्यक था, जबकि डिप्लोमा रखने वाले जूनियर इंजीनियरों के पास आठ साल का अनुभव होना आवश्यक था। त्रिलोकीनाथ खोसा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद, न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहा कि

" 29. त्रिलोकी नाथ मामले [(1974) 1 एस. सी. सी. 19: 1974 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 49: (1974) 1 एस. सी. आर. 771] डिप्लोमा धारकों को उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाता था। यहाँ, वर्तमान मामले में, डिप्लोमा का कब्जा, अपने आप में और अधिक के बिना, पात्रता प्रदान नहीं करता है। डिप्लोमा, पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए नहीं है

डिग्री के बराबर माना जाता है। यह दोनों मामलों की स्थितियों में अंतर का बिंदु है। यदि डिप्लोमा धारकों को निश्चित रूप से नौकरी की आवश्यकताओं के औचित्य और संवर्ग में तकनीकी विशेषज्ञता की एक निश्चित गुणवत्ता बनाए रखने के हित में उच्च संवर्ग में पदोन्नति के लिए पात्रता से वैध रूप से बाहर रखा जा सकता है, तो यह अनिवार्य रूप से एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में नहीं आता है कि भर्ती नीति का विकल्प केवल दो विकल्पों तक सीमित है, अर्थात्, या तो उन्हें "योग्य" या "पात्र नहीं" मानना। राज्य, पदोन्नति पदों की आवश्यकताओं के अनुरूप और दक्षता के हित में सेवा, पर पात्रता प्रदान करने से वंचित नहीं है

डिप्लोमा धारक इसे अन्य आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते हैं, जिसमें सेवा अनुभव की एक निश्चित मात्रा शामिल हो सकती है। वर्तमान मामले में, पात्रता का निर्धारण एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता के संचयी मानदंड द्वारा किया गया था।

साथ ही सेवा अनुभव की एक विशेष मात्रा। हमारी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, कि राज्य का विकल्प या तो डिप्लोमा को मान्यता देना था धारकों को पदोन्नति के लिए "पात्र" के रूप में या उन्हें "पात्र नहीं" के रूप में पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। यदि शैक्षिक योग्यता को स्वयं पदोन्नति के लिए पात्रता प्रदान करने के रूप में मान्यता दी गई थी, तो आगे की शर्तों का अधिरोपण जैसे -

अकेले धारक अपने नुकसान के लिए बन सकते हैं भेदभावपूर्ण। यह राज्य को नहीं रोकता है

एक नीति तैयार करना जो एक आवश्यक भाग के रूप में निर्धारित करता है-चंदन बनर्जी v.

कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बहुत पात्रता के लिए शर्तों की कि उम्मीदवार

एक विशेष योग्यता और एक निर्धारित योग्यता होनी चाहिए

सेवा अनुभव की मात्रा। यह कहा गया है कि इसके आधार पर

"वैश्य समिति" की रिपोर्ट, अधिकारियों ने विचार किया

कार्मिकों में उच्च शैक्षणिक और तकनीकी गुणवत्ता का समावेश

इंजीनियरिंग सेवाओं के संबंधित संवर्गों में आवश्यकताएँ आवश्यक है। ये अनिवार्य रूप से नीतिगत मामले हैं। जब तक कि

प्रावधान मनमाना, मनमौजी, या लाने के लिए दिखाया गया है

सरासर अनुचित परिणामों के बारे में, न्यायिक नीति एक होनी चाहिए न्यायिक संयम। निर्देश कुछ हद तक हो सकते हैं

उनके अनुप्रयोग में बोझिल या कुछ कठिनाई उत्पन्न करें

कुछ व्यक्तिगत मामलों में; लेकिन उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है

अनुचित, मनमाना या मनमाना। उच्च न्यायालय ने

हमारी राय, नियमों को उल्लंघनकारी के रूप में निरस्त करने में उचित नहीं थी

अनुच्छेद 14 और 16।

(जोर दिया गया)

22. एम रथिनस्वामी बनाम में एक अन्य निर्णय में। तमिल राज्य

उप-तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए सूची में सीधे भर्ती किए गए सहायकों को पदोन्नति सहायकों से ऊपर रखा गया था। सहायक के लिए सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता एक थी स्नातक की डिग्री, जबकि पदोन्नति सहायक, जिन्हें कनिष्ठ सहायक के पद से पदोन्नत किया गया था, आमतौर पर गैर-स्नातक थे। न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका द्वारा किए गए वर्गीकरण का एक तर्कसंगत आधार होना चाहिए। इस प्रकार, यद्यपि उत्तरदाता शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती स्नातक सहायकों और गैर-स्नातक पदोन्नति सहायकों के बीच अंतर पैदा कर सकते थे, लेकिन जो पदोन्नति सहायक स्नातक थे, उनके साथ पदोन्नति के उद्देश्य से भेदभाव नहीं किया जा सकता था।

23. इस मामले के उद्देश्य के लिए एक प्रासंगिक निर्णय राज्य है

उत्तराखंड बनाम. एस. के. सिंह 22. वर्तमान मामले के समान, एक कनिष्ठ अभियंता के फीडर पद के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता डिप्लोमा की थी, न कि डिग्री, हालांकि, डिग्री धारकों को पात्र माना जाता था। 60 सहायक अभियंता के उच्च पद पर प्रतिशत नियुक्तियां कनिष्ठ संवर्ग से पदोन्नति के माध्यम से की जाती थीं।

इंजीनियर, जबकि शेष 40 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से थे।

21 (2009) 2 एससीसी (एलएस) 101 22 (2019) 10 एससीसी 49 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फीडर पद पर नियुक्त होने के लिए डिग्री की उच्च योग्यता को एक आवश्यकता के रूप में नहीं माना गया था, फिर अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए दो अलग-अलग अवधि का अनुभव बाद में प्रदान नहीं किया जा सका। उच्च न्यायालय के फैसले को उलटते हुए, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के माध्यम से बोलते हुए, स्नातक कनिष्ठ सहायकों के लिए त्वरित पदोन्नति के लिए विभिन्न पात्रता शर्तों को बरकरार रखा। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि भले ही गैर-स्नातकों को पूरी तरह से पदोन्नति से बाहर कर दिया गया था, या यदि सामान्य पदोन्नति के लिए आवश्यक समय अवधि (यानी अनुभव) डिग्री और डिप्लोमा धारकों के बीच अलग-अलग थी, तो वे वर्गीकरण भी कानून के तहत मान्य होंगे।

24. अपीलकर्ताओं ने अपनी प्रस्तुतियों में इस न्यायालय से दृढ़ता से आग्रह किया है कि वे ए. एस. अय्यर बनाम के निर्णयों की तरह एक अलग उदाहरण का पालन करें। वी. बालासुब्रमण्यम 23; भारत संघ बनाम। अतुल शुक्ला 24,

महाराष्ट्र वन रक्षक और वन रक्षक संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2 5. ए. एस. अय्यर (ऊपर) और अतुल शुक्ला (ऊपर) मामले में इस न्यायालय के फैसलों ने कानून के इस प्रस्ताव को बरकरार रखा कि 'भर्ती के स्रोत' के आधार पर भेदभाव वर्गीकरण का एक वैध आधार नहीं हो सकता है। इसी तरह, महाराष्ट्र वन रक्षक और वन रक्षक संघ (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने सूक्ष्म नियम निर्धारित करने वाले एक नियम को रद्द कर दिया।

गैर-स्नातक वन रक्षकों की पदोन्नति के रूप में वन रक्षक से वनपाल में पदोन्नति के लिए वर्गीकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित था।

25. भारतीय खाद्य निगम बनाम। ओम प्रकाश 26, यह न्यायालय

टाइपिस्ट या टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में सहायक ग्रेड II (ए. जी. II) से सहायक ग्रेड I (ए. जी. I) के पद पर पदोन्नति के लिए स्नातक और मैट्रिक के बीच विभिन्न पात्रता शर्तों के प्रावधान वाले नियम की वैधता पर निर्णय लिया जाता है। जबकि पहला तीन साल की सेवा के बाद पदोन्नति के लिए पात्र था, दूसरा पांच साल की सेवा के बाद पात्र होगा। न्यायालय ने इस नियम को रद्द कर दिया क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि ए. जी. I या ए. जी. II के पदों में काम की प्रकृति आवश्यक है।

23 (1980) 1 एस. सी. सी. 634 24 (2014) 10 एस. सी. सी. 432 25 (2018) 1 एस. सी. सी. 149 26 (1998) 7 एस. सी. सी. 676 चंदन बनर्जी बनाम।

कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आर दक्षता जो केवल स्नातकों से अपेक्षित की जा सकती है और नहीं

स्नातक। इस प्रकार, नियम और उद्देश्य के बीच संबंध

उच्च दक्षता अनुपस्थित थी।

26. उपरोक्त पूर्ववर्ती पंक्तियों से उभरने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार है:

(i) व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण कृत्रिम नहीं होना चाहिए।

असमानताएँ। वर्गीकरण को एक उचित आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए और लेखों के संग्रह को पारित करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य के साथ संबंध होना चाहिए।

14 और 16;

((ख)

वर्गीकरण के मामलों में न्यायिक समीक्षा एक तक सीमित है

यह निर्धारित करना कि क्या वर्गीकरण उचित है और प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु के साथ एक संबंध रखता है। न्यायालय वर्गीकरण के आधार के गणितीय मूल्यांकन में शामिल नहीं हो सकते हैं या विधायिका या उसके प्रतिनिधि के ज्ञान को अपने ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

((iii) आम तौर पर, शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामलों में एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण के लिए एक वैध आधार है और यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

16 संविधान का;

((iv) विभिन्न स्रोतों से लिए गए और एकीकृत किए गए व्यक्ति

एक सामान्य वर्ग को इस आधार पर अलग किया जा सकता है कि

पदोन्नति के उद्देश्य के लिए शैक्षिक योग्यता, जहां इसमें आवश्यक दक्षता के साथ संबंध है

प्रचार पोस्ट;

शैक्षणिक योग्यता का उपयोग कोटा लागू करने के लिए किया जा सकता है।

(v)

व्यक्तियों के एक निश्चित वर्ग के लिए पदोन्नति के लिए; या पदोन्नति को पूरी तरह से एक वर्ग तक सीमित करने के लिए उपयोग किया जाए,

दूसरों का बहिष्कार;

(vi)

प्रशासनिक वृद्धि के लिए पदोन्नति के लिए वर्गीकरण उच्च पदों पर दक्षता; और

(vii) तथापि, शैक्षिक आधार पर किया गया वर्गीकरण

योग्यता का उद्देश्य के साथ संबंध होना चाहिए वर्गीकरण या योग्यताओं में अंतर की सीमा।

27. अब हम वर्तमान के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

ऊपर निर्धारित कानूनी ढांचे के भीतर।

डी विश्लेषण

28. शुरुआत में हमें यह इंगित करना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने इस तथ्य का विरोध नहीं किया है कि शैक्षणिक योग्यता एक वैध आधार नहीं है

सार्वजनिक रोजगार या उस पदोन्नति के मामलों में वर्गीकरण

डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के लिए ए. ई. के पद के लिए रास्ते उपलब्ध नहीं हैं। अपीलकर्ता विवादित परिपत्र को इस सीमित आधार पर चुनौती देना चाहते हैं कि ए. ई. के अतिरिक्त पदों पर पदोन्नति के

लिए पात्रता की शर्तें डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के लिए अलग-अलग हैं, जिन्हें पात्र होने के लिए बीस-पांच साल के अनुभव की आवश्यकता होती है, जबकि डिग्री धारक एस. ए. ई. को तेरह साल के अनुभव की आवश्यकता होती है।

29. अपीलार्थियों के मामले का सार यह है कि त्रिलोकीनाथ खोसा (उपरोक्त) के विपरीत, जहां भर्ती दो माध्यमों से की जाती थी

भर्ती के विभिन्न स्रोत (प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से) जिसके बाद स्नातक और डिप्लोमा धारकों को एक वर्ग में एकीकृत किया गया था, वर्तमान मामले में एस. ए. ई. की भर्ती के लिए एक सामान्य परीक्षा थी। यह आग्रह किया गया है कि एक बार स्नातक और डिप्लोमा धारक सामान्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, यह भर्ती का एक ही स्रोत है और शैक्षिक योग्यता के आधार पर कोई भी भेदभाव अमान्य होगा। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि त्रिलोकीनाथ खोसा (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा। 30. हमारे विचार में, त्रिलोकीनाथ खोसा (ऊपर) का पढ़ना, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा आग्रह किया गया है, मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने

इस तथ्य पर जोर देने की मांग की कि त्रिलोकीनाथ खोसा में निर्णय

भर्ती। इस संदर्भ में निर्णय को पढ़ने का अर्थ है पेड़ों के लिए लकड़ी की कमी महसूस करना। त्रिलोकीनाथ खोसा (ऊपर) में, न्यायालय ने इस सुस्थापित सिद्धांत पर जोर दिया था कि एक बार प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों को एक सामान्य समूह में एकीकृत कर दिया जाता है, तो उनके साथ 'भर्ती के स्रोत' के आधार पर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अन्य उचित आधारों पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, चाहे भर्ती की दो अलग-अलग धाराएँ हों, या भर्ती का एक ही स्रोत एक सामान्य समूह में विलय हो गया हो, जिस वर्गीकरण को बरकरार रखा गया था त्रिलोकीनाथ खोसा (उपरोक्त) शैक्षिक योग्यता पर आधारित था जो संगठन में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से जुड़ा था। हम अपीलार्थियों के इस निवेदन से सहमत नहीं हैं कि त्रिलोकीनाथ खोसा (ऊपर) में निर्णय में लागू नहीं है

वर्तमान मामला।

चंदन बनर्जी बनाम। कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

31. अब हम इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या शैक्षिक योग्यता के आधार पर केएमसी द्वारा किया गया वर्गीकरण उचित था।

उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई। 32. दिसंबर 1994 में तैयार किए गए के. एम. सी. के लिए अपरिवर्तित भर्ती विनियमों में प्रावधान किया गया था कि ए. ई. की कुल संवर्ग संख्या का 50 प्रतिशत एस. ए. ई. से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

भरा जाएगा। एस. ए. ई. को बदले में उन उम्मीदवारों में से भर्ती किया जाना था जिन्होंने एक योग्यता प्राप्त की थी

इंजीनियरिंग या उससे ऊपर का डिप्लोमा। इस प्रकार, भर्ती नियम शुरू में डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. या डिग्री धारक एस. ए. ई. के बीच पदोन्नति के लिए अलग-अलग शर्तों को निर्धारित नहीं करते थे।

33. 7 अगस्त 1997 को, भर्ती विनियमों को संशोधित किया गया और डिग्री धारक एस. ए. ई. एस. की पदोन्नति के लिए एक कोटा पेश किया गया।

इस संशोधन द्वारा 45 प्रतिशत ए. ई. को सीधे भर्ती किया जाना था; 45 प्रतिशत को एस. ए. ई. (डिप्लोमा या डिग्री धारक) से पदोन्नत किया जाना था जिनके पास दस साल का अनुभव था और 10 प्रतिशत डिग्री धारकों एस. ए. ई. के लिए आरक्षित था जिन्होंने दस साल तक सेवा की थी। एक वर्गीकरण डिग्री धारक एस. ए. ई. और डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के बीच बनाया गया था, जिससे पहले वाले को बाद वाले पर वरीयता दी गई थी। हालांकि, डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के लिए पदोन्नति के अवसर पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं थे।

34. भर्ती विनियमों को 20 फरवरी 2002 के एक परिपत्र द्वारा फिर से संशोधित किया गया था। इस संशोधन द्वारा, ए. ई. का अनुपात

सीधी भर्ती को 45 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया। इस 10 प्रतिशत की कमी का लाभ पदोन्नति के दोनों समूहों को दिया गया, यानी डिग्री धारक एस. ए. ई. के लिए आरक्षण बढ़ाया गया।

15 प्रतिशत तक, जबकि शेष 50 प्रतिशत एस. ए. ई. (या तो डिप्लोमा या डिग्री धारक) से पदोन्नति द्वारा भरा जाना था, जिनके पास दस साल का अनुभव हो।

अनुभव। इस परिपत्र को उच्च न्यायालय के समक्ष असफल चुनौती दी गई थी। 35. भर्ती विनियमों में किए गए संशोधनों से संकेत मिलता है कि पदोन्नति के मामलों में, केएमसी ने बार-बार एक

1997 से डिग्री धारक एस. ए. ई. और डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के बीच अंतर, पूर्व के पदोन्नति के लिए एक कोटा शुरू करके। ऐसा करने में, इसने डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के लिए प्रचार के रास्ते बंद नहीं किए। में।

वास्तव में, 2002 में, डिग्री और डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. दोनों के लिए पदोन्नति के अवसरों में काफी वृद्धि की गई थी, जबकि इसके लिए वरीयता बनाए रखी गई थी। पूर्ववर्ती।

36. के. एम. सी. ने एस. ए. ई. के बीच ठहराव को कम करने के लिए कैरियर प्रोत्साहन प्रदान करने की भी मांग की। पहली कैरियर उन्नति योजना 2008 में शुरू की गई थी जिसमें एक एस. ए. ई. के मूल वेतन के पैमाने को ए. ई. तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। वेतन के मामलों में, डिग्री या डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के बीच कर्तव्य और कार्य के रूप में कोई अंतर नहीं किया गया था। एस. ए. ई. के दोनों सेटों द्वारा किया गया प्रदर्शन समान रहा।

37. विवादित परिपत्र द्वारा शुरू की गई दूसरी कैरियर उन्नति योजना में अतिरिक्त ए. ई. पद बनाने की मांग की गई थी। इन पदों पर पदोन्नति डिग्री और डिप्लोमा रखने वाले एस. ए. ई. दोनों के लिए उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि, केएमसी में इन एस. ए. ई. की सेवा के वर्षों के संदर्भ में पात्रता की शर्तें अलग-अलग हैं। इन परिस्थितियों के खिलाफ एक चुनौती खड़ी की गई है।

38. भर्ती विनियम और उनके बाद के नियम

के. एम. सी. द्वारा किए गए संशोधनों से पता चलता है कि प्रशासन ने पदोन्नति के उद्देश्य से डिग्री और डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के बीच अंतर बनाना जारी रखा है। नियमित पदोन्नति में, यह अंतर किया जाता है

डिग्री धारक एस. ए. ई. के लिए एक कोटा के रूप में, जबकि अतिरिक्त पदोन्नति के संदर्भ में, यह पात्रता शर्तों में अंतर के रूप में रहा है। चाहे वह किसी न किसी तरह से हो, यह स्पष्ट है कि प्रशासन ने डिप्लोमा धारकों की तुलना में ए. ई. के पद पर अधिक संख्या में डिग्री धारकों को नियुक्त करने की मांग की है। 1994 में, जब भर्ती विनियम थे शुरू किए गए, 50 प्रतिशत पद सीधी भर्तियों के लिए थे, जो डिग्री धारक थे और शेष 50 प्रतिशत जो पदोन्नतियों द्वारा भरे जाने थे।

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ एस. ए. ई. होने चाहिए जो धारण कर रहे थे

डिग्री। इस प्रकार, कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक ए. ई. डिग्री धारक होने थे। जब 1997 में इन विनियमों को संशोधित किया गया था, तो 45 प्रतिशत ए. ई. सीधी भर्ती डिग्री रखने वाले होने थे, 10 प्रतिशत ए. ई. डिग्री रखने वाले एस. ए. ई. होने थे, और शेष 45 प्रतिशत पदों को डिग्री/डिप्लोमा रखने वाले एस. ए. ई. द्वारा भरा जाना था। इस प्रकार, यह निर्धारित किया गया था कि 55 प्रतिशत से अधिक ए. ई. डिग्री धारक होंगे। इसी तरह, 2002 में, 50 प्रतिशत से अधिक ए. ई. पदों को डिग्री धारकों द्वारा भरा जाना था (35 प्रतिशत ए. ई. सीधी भर्ती डिग्री रखने वाले थे, 15 प्रतिशत ए. ई. को डिग्री रखने वाले एस. ए. ई. एस. द्वारा भरा जाना था और शेष 50 प्रतिशत डिग्री/डिप्लोमा रखने वाले एस. ए. ई. द्वारा भरा जाना था)। ए. ई. के पद के लिए डिग्री धारकों में वृद्धि का कारण बेहतर पद के लिए आवश्यक उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता, प्रबंधकीय और तकनीकी कार्यभार में वृद्धि और पर्यवेक्षी कार्यों में वृद्धि जैसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं।

यह चंदन बनर्जी बनाम के लिए गलत नहीं है। कृष्णा प्रसाद घोष [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक निष्कर्ष निकालें कि एक उच्च शैक्षिक डिग्री, निर्धारित वर्षों के अनुभव के साथ, एक पद के लिए कुछ लाभ ला सकती है

ए. ई. जो प्रबंधन चाहता है। किसी भी मामले में, यह तय करना इस न्यायालय का काम नहीं है कि क्या उच्च शैक्षणिक योग्यता इस शर्त को पूरा करेगी कि

प्रबंधन के उद्देश्य, जब तक कि शैक्षिक योग्यता और उच्च दक्षता की आवश्यकता के बीच संबंध बेतुका, तर्कहीन या मनमाना नहीं है। निर्णयों की एक श्रृंखला में, इस न्यायालय ने माना है कि शैक्षिक योग्यता को उच्च प्रशासनिक दक्षता से जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार इस आधार पर वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है।

39. हालाँकि हमारे सामने चुनौती इससे संबंधित नहीं है

नियमित पदोन्नति के मामलों में किया गया वर्गीकरण। वास्तव में, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, एस. ए. ई. ने 7 अगस्त 1997 या 20 फरवरी 2002 (जिसे एक अन्य याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई थी) के प्रारंभिक परिपत्रों को चुनौती नहीं दी है। हमारे सामने मुद्दा केवल अतिरिक्त ए. ई. पदों पर पदोन्नति के लिए लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित है।

40. ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश इस शब्द को परिभाषित करता है।

“ अतिरिक्त "के रूप में" सामान्य या आवश्यक संख्या से अधिक मौजूद है ", या" एक नियमित कर्मचारी से संबंधित नहीं है लेकिन अतिरिक्त के लिए कार्यरत है।

काम "27. एक "अतिरिक्त पद" को "सामान्य रूप से बताए गए या निर्धारित संख्या से अधिक पद" के रूप में परिभाषित किया गया है। विवादित परिपत्र इंगित करता है कि ये अतिरिक्त पद एस. ए. ई. के बीच ठहराव को दूर करने के लिए बनाए गए थे। यद्यपि विवादित परिपत्र का घोषित लक्षय यही हो सकता है, के. एम. सी. ने इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किया है कि पदोन्नति के लिए शिक्षा योग्यता में अंतर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एस. ए. ई. एक बार इन अतिरिक्त पदों पर ए. ई. के पद पर पदोन्नत होने के बाद ए. ई. के कार्य और कार्यों को पूरा करेंगे। इस प्रकार, यह केवल एक परिवर्तन नहीं है

ए. ई. के लिए एक एस. ए. ई. का पदनाम, लेकिन इसमें काम के बोझ में वृद्धि, पर्यवेक्षी कार्य और एक ए. ई. के नियमित कार्यों का प्रदर्शन शामिल है।

ए. ई. चूंकि यह मामला है, इसलिए हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि नियमित पदोन्नति के माध्यम से ए. ई. संवर्ग में उच्च डिग्री धारकों की आवश्यकता का अंतर्निहित तर्क अतिरिक्त पदों के मामले में लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, विवादित परिपत्र के लिए एक चुनौती हो सकती है

27 संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश (जूडी पियर्सल संस्करण, 10वां संस्करण, 1999) 28 पी. रामनाथ अय्यर, द लॉ लेक्सिकन, द एनसाइलोपेडिक लॉ डिक्शनरी पी। 1838 (न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय) एड। , 1997)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि विभिन्न पात्रता शर्तें प्रदान करने के बजाय, के. एम. सी. ने एक निश्चित संख्या में अतिरिक्त पदों के निर्माण का प्रावधान किया था, जिसमें से एक अनुपात डिग्री धारक एस. ए. ई. एस. के लिए आरक्षित था? हम ऐसा नहीं सोचते हैं। यही कारण है कि ये पद अतिरिक्त हैं और योग्य व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, पदों की एक निश्चित संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। शायद यही कारण है कि के. एम. सी. ने पदोन्नति देने के नियमित तरीके से हटने की कोशिश की और अलग पात्रता शर्तों को लागू करने का विकल्प चुना। इसलिए, हम पाते हैं कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर अतिरिक्त ए. ई. पदों पर पदोन्नति के लिए अलग पात्रता शर्तें के. एम. सी. की पिछली पदोन्नति प्रथाओं के अनुरूप हैं और यह एक अनुचित वर्गीकरण नहीं है।

41. अन्यथा भी, हम ध्यान देते हैं कि आक्षेपित परिपत्र के खंड 3 में यह प्रावधान है कि इन अतिरिक्त पदों को कब और कैसे समायोजित किया जाएगा।

पात्र ए. ई. एस. के लिए और उनके नियमित रूप से ए. ई. एस. के रूप में पदोन्नत होने या सेवा में बने रहने पर समाप्त हो जाएगा। 42. एक अन्य पहलू जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि अतिरिक्त पदों का सृजन करते समय, के. एम. सी. ने डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. के पदोन्नति के अवसरों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया है जो अपनी सेवा में रुके हुए हैं। इसने उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया है, हालांकि अलग-अलग नियमों और शर्तों पर। इस प्रकार, अतिरिक्त पदों के लिए के. एम. सी. की पदोन्नति नीति तर्कहीन या मनमाना नहीं है या डिप्लोमा धारक एस. ए. ई. को नुकसान नहीं पहुंचाती है। सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, विधायिका या उसके प्रतिनिधि को विभिन्न पदों के बजाय व्यक्तियों की गुणवत्ता तय करने के लिए पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए। जब तक ये निर्णय मनमाने नहीं हैं, तब तक इस न्यायालय को नीतिगत क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

ई निष्कर्ष

43. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, यह हमारा विचार है कि 3 जुलाई 2012 के विवादित परिपत्र और बाद की श्रेणीकरण सूची में चंदन बनर्जी बनाम शामिल नहीं है।

कृष्ण प्रसाद घो [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मनमानेपन और भेदभाव की बुराई। तदनुसार

उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय और अन्य।

44. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, खारिज कर दिए जाएंगे।

जैन

ऐप